

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तीस'

कलकत्ता भवन-58601
विश्वविद्यालय-भोपाल

4/1/2008-क

क्रमांक : एक 1/2/2008/नियम/चार
प्रति,

भोपाल दिनांक 18 जुलाई, 2008

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश ।

विषय- निर्माण विभाग के उपयंत्रियों को 28 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समयमान वेतन (Timescale Pay) रूपये 10,000-15,200 उपलब्ध कराने बाबत ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक : एक 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी 2008

मध्य प्रदेश राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के अनिवार्य अवसर उपलब्ध कराने के लिए समयमान वेतन (Timescale Pay) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एक 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24-1-2008 द्वारा स्वीकृत किया गया है ।
2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निर्माण विभागों में कार्यरत उपयंत्रियों को वित्त विभाग के शासन दिनांक 24-1-2008 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नानुसार समयमान वेतन का लाभ दिया जाए :-

संलग्न क्रमांक	वर्ग	प्रारंभिक वेतनमान (रूपये)	10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम उच्चतर वेतनमान (रूपये)	20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय उच्चतर वेतनमान (रूपये)	28 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय उच्चतर वेतनमान (रूपये)
	उपयंत्री	5000-150-8000	6500-200-10500	8000-275-13500	10000-325-15200

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(ए.पी. श्रीवास्तव)

सांचय

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग